



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20112021-231264
CG-DL-E-20112021-231264

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4418]
No. 4418]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 18, 2021/कार्तिक 27, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 18, 2021/KARTIKA 27, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2021

का.आ. 4785(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3707(अ) तारीख 10 अक्तूबर 2019 जो भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 3372 तारीख 15 अक्तूबर 2019 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में तेलंगाना राज्य में हासन से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एल.पी.जी के परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 23 दिसम्बर 2019 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है की उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तालुक : तिपटूर		जिला : तुमकूर	राज्य : कर्नाटक	
क्रमांक	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
			एकड़	गुंटा
1	2	3	4	5
1	1.कोडिहल्ली	33	00	01
2		42	00	01
3	2.चौडेनहल्ली	55	00	02
4		33	00	02
5		48/1	00	01
6		43/4	00	01
7	3.होन्नावल्ली	678/2	00	01
8		677/1	00	01
9		675/2	00	01
10		724/1	00	01
11		98/9बी	00	01
12	4.चिक्कहोनवल्ली	20/2	00	01
13		12/2	00	02
14	5.अनिवाल	80/1	00	01
15		84/1	00	01
16		51/1	00	01
17		49/3	00	01
18		45/1ए1	00	01
19		19/2	00	01
20		29/2	00	06
21		91/2	00	01

1	2	3	4	5
22	अनिवाल (जारी....)	91/1	00	01
23		31/1	00	02
24	6.रद्वेनहल्ली	78/2	00	01
25		47/2	00	01
26		47/4बी	00	02
27		39/1	00	02
28		37/1सी	00	01
29		22/1बी	00	01
30		126/3	00	01
31	7.मल्लीदेविहल्ली	35/21	00	01
32		44/2ए	00	02
33		54	00	01
34	8.बलुवनेरलू	22/4	00	01
35		29/3	00	01
36		34/9	00	01
37		40/1	00	02
38		44	00	01
39	9.मुदेनहल्ली	23/4	00	01
40	10.सुरगोंडनहल्ली	47/7	00	01
41		49/5	00	01
42		64/6	00	01
43		105	00	01
44		13/2	00	01
45		110/3	00	01
46		113/1	00	01

[फा. सं. आर-12030(27)/2/2019-ओआर-I/ई-30930]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2021

S.O. 4785(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.3707E) dated the 10th October 2019 issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra ordinary Gazette of India No.3372 dated the 15th October 2019 the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in state of Karnataka for transportation of LPG, from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public up to 23 December 2019.

And whereas the competent authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Taluk : Tipturu		District : Tumakuru	State : Karnataka	
Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Area	
			Acres	Guntas
1	2	3	4	5
1	1.Kodihalli	33	00	01
2		42	00	01
3	2.Chowdenahalli	55	00	02
4		33	00	02
5		48/1	00	01
6		43/4	00	01
7	3.Honnavalli	678/2	00	01
8		677/1	00	01
9		675/2	00	01
10		724/1	00	01
11		98/9B	00	01
12	4.Chikkahonnavalli	20/2	00	01
13		12/2	00	02
14	5.Anivala	80/1	00	01
15		84/1	00	01
16		51/1	00	01
17		49/3	00	01
18		45/1A1	00	01
19		19/2	00	01
20		29/2	00	06
21		91/2	00	01
22		91/1	00	01
23		31/1	00	02
24	6.Rattenahalli	78/2	00	01
25		47/2	00	01
26		47/4B	00	02
27		39/1	00	02
28		37/1C	00	01

1	2	3	4	5
29	Rattenahalli (Contd...)	22/1B	00	01
30		126/3	00	01
31	7.Mallidevihalli	35/21	00	01
32		44/2A	00	02
33		54	00	01
34	8.Baluvaneralu	22/4	00	01
35		29/3	00	01
36		34/9	00	01
37		40/1	00	02
38		44	00	01
39	9.Muddenahalli	23/4	00	01
40	10.Suragondanahalli	47/7	00	01
41		49/5	00	01
42		64/6	00	01
43		105	00	01
44		13/2	00	01
45		110/3	00	01
46		113/1	00	01

[F. No. R-12030(27)/2/2019-OR-I/E-30930]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.